न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

मांगीलाल बनाम जगदीश

किस्म मुकदमा धारा-229 मि.नं. 154/18 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कृष्णगोपाल भार्गव एडवोकेट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.5.24	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को तीन बार रुक-रुक कर आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ। अभिभाषक रेस्पो॰ उपस्थित। अपि॰ अपीलांट पूर्व में भी दिनांक 24.1.24 एवं 8.5.24 को बहस हेतु अनुपस्थित रहे। अत: पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधीकारी कोटा राज0

मांगीलाल आयु 76 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्ण नि0 कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां राज0

—अपीलांट

—बनाम —

1.जगदीश आयु 43 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति तेली नि0 कवाई सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0

2. मोहनलाल आयु 41 वर्ष पुत्र श्री रतनलाल जाति तेली नि0 कवाई सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0

3. प्रभूलाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री मांगीलाल जाति तेली नि0 कवाई सालपुरा तह0 अटरू जिला बारां राज0

4.राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 छबडा जिला बारां

—रेस्पो0

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 22.6.2018 बउनवान मांगीलाल —बनाम —जगदीश वगै0 प्रकरण सं0 136/16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय छबडा।

मान्यवर,

अपीलांट /प्रार्थी निम्न आधारों पर अपील पेश करता है:—

1. यह कि अपीलांट के कब्जे, स्वामित्व की आराजी खाता सं0 301/299 की ख0न0 761 रकबा 09 बिस्वा वाके माल कडैयानोहर तह0 छबडा जिला बारां में अवस्थित है। जो कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071—74 मांगीलाल पुत्र हीरालाल एवं रतनालाल पुत्र हीरालाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। तथा जो अर्सा करीब 42 वर्षो से अपीलांट के कब्जे व कास्त में वर्तमान समय तक बिना किसी व्यवधान के चली आ रही थी। जो अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क0 1 ता 3 के पिता दिनांक 10.6.1976 को स्टाम्प कीमती 4.50 रू0 जर्ये विकय पत्र बिलेख रूबरू गवाहान हरनारायण व मदनलाल के समक्ष प्रतिफल राशि 99/—रू0 खातेदार मांगीलाल एवं रतनलाल ने अपने पूर्ण होश हवास एवं स्वतंत्र सहमति से बिनां किसी दबाव के विकय की। तथा विकय के समय से कब्जा दखल अपीलांट को संभला दिया गया था, तब से ही अपीलांट का उक्त आराजी पर अनवरत व निर्बाध रूप से शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा कास्त चला आ रहा था।